न्यायालय अति.जिला कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्याः— 15/16 दायर दिनांक 05.07.2016

पीठासीन अधिकारी :— श्री राहुल कुमार मल्होत्रा (आर.ए.एस.)

उनवान

गुरूदेव पुत्र कन्हैयालाल जाति किराड निवासी ढ़िकवानी तहसील शाहबाद जिला बारां — **प्रार्थी**

बनाम

1. रामहेत पुत्र सुन्दरलाल जाति सहरिया ग्राम ढिकवानी तहसील शाहबाद, जिला बारां
2. सम्पत पुत्र गोविन्दी जााति सहरिया ग्रान ढिकवानी तहसील शाहबाद, जिला बारां
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार शाहबाद जिला बारां — **अप्रार्थीगण**

उपस्थित

1. **श्री अरविन्द कुमार शर्मा, अभिभाषक प्रार्थी।**
2. **श्री प्रकाश चन्द्र नामदेव — अप्रार्थीगण।**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्व कृषि भूमि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम

निर्णय **दिनांक 24.03.2022**

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। संक्षेप प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र राजस्थान भू.— राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 14(4) के अन्तर्गत प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को किये गये आवंटन को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत किया। सरिस्ता रिपोर्ट ली जाकर प्रार्थना पत्र उचित कोर्ट फीस पर होने व न्यायालय क्षेत्राधिकार में होने से प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुये अप्रार्थीगण की तलबी की गई।

ग्राम रातई कलां की भूमि खसरा नम्बर 298 रकबा 5 बीघा का अप्रार्थी क्रम 1 को किया गया आवंटन आदेश दिनांक 23.06.2000 आवंटन केम्प ढ़िकवानी, सर्वथा अवैध, विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अप्रार्थी क्रम 1 रामहेत भूमिहीन व्यक्ति नहीं है तथा सद्भावी कृषक नहीं है। लेकिन कपटपूर्वक, धोखाधडी से स्वयं को भूमिहीन व सद्भावी कृषक बताते हुये अपीलाधीन आवंटन आदेश प्राप्त कर लिया है। आवंटन समिति द्वारा भूमि आवंटी को कृषि प्रयोजन हेतु आवंटित की जाती है लेकिन अप्रार्थी क्रम 1 जो सद्भावी कृषक नहीं है न कपटपूर्वक आवंटन आदेश प्राप्त कर लिया व कृषक नहीं होने से कृषि कार्य हेतु आवंटित भूमि को अप्रार्थी क्रम 2 को विक्रय कर दिया लिहाजा आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है। आवंटन हेतु कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई आवंटित भूमि आवंटन के पूर्व से ही प्रार्थी के कब्जे काश्त में निरन्तर चली आ रही है। अप्रार्थी क्रम 1 को कभी दखल नहीं दिया गया लेकिन आवंटन शर्तो की पालना किये बिना ही राजस्व कर्मियों से मिली भगत कर खातेदारी प्राप्त कर अप्रार्थी क्रम 2 को विक्रय कर दिया। भूमि को नौतोड कर काबिल काश्त बनाया है व प्रार्थी क्रम 1, 2 का कभी कब्जा नहीं रहा ... अप्रार्थी क्रम 2 ... विवादित भूमि पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2022.05.09 16:31:19 IST
Reason: SelfAttested

जाकर उक्त भूमि अप्रार्थी क्रम 1 से क्रय करना बताकर कब्जा करने की धमकी देने पर प्रार्थी द्वारा एस.डी.ओ. शाहबाद में आवंटन सूची आवेदन किया व दिनांक 15.06.2016 को आवंटन सूची की नकल प्राप्त होने पर आवंटन का ज्ञान हुआ दिनांक 16.06.2016 को आवंटन आदेश की नकल हेतु आवेदन किया जिस पर 22.06. 2016 को विवादित आवंटन रिकार्ड में नहीं होना बताया लिहाजा आवंटन सूची की नकल के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश है। आवंटन आदेश दिनांक 23.06.2000 सर्वथा अवैध, विधि विरूद्ध, कपटपूर्वक व मिस रिप्रिजेन्टशन के आधार पर प्राप्त किया गया होने से निरस्तनीय है।

अपीलान्ट द्वारा अपील देरी से प्रस्तुत करने पर देरी को माफ करने हेतु धारा 5 परिसीमा अधिनियम के अन्तर्गत पृथक से प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया है। जो शामिल पत्रावली है। अपीलान्ट द्वारा उक्त आवंटन की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 15.06.2016 को तत्पश्चात् नकल प्राप्त करने पर हुई। अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 में वर्णित कारणों से हम सहमत हैं। अतः प्रस्तुत अपील में डिले को माफ करते हुए अवधि मध्य मानी जाकर अपील विचारार्थ स्वीकार की जाती है।

अप्रार्थीक्रम 1 व 2 की तलबी की गई अप्रार्थीक्रम 1 बाबजूद सूचना अनुपस्थित रहे हैं उनके विरूद्ध पकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण क्रम 2 ने जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम रातईकलां की अप्रार्थी क्रम 1 रामहेत को सलाहकार समिति ढ़िकवानी द्वारा दिनांक 23.06.2000 को अलोट हुई थी, तब से अप्रार्थी के कब्जा काश्त चली आ रही है। रामहेत ने वर्ष 2014 में उक्त आराजी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.08.2014 को अप्रार्थी क्रम 2 सम्पत सहरिया को बेचान कर कब्जा काश्त सम्भलाया। अप्रार्थी क्रम 2 ने प्रार्थी गुरूदेव व उसके पिता कन्हैयालाल के खिलाफ कार्यवाही अन्तर्गत धारा 183 (बी) आर.टी.ए. के तहत तहसीलदार शाहबाद को प्रस्तुत किया। जिसमें बेदखली के आदेश प्रदान कर निर्णय दिनांक 27.06.2017 को आदेश फरमा दिया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुये कथन किया कि ग्राम रातई कलां की आराजी खसरा नम्बर 298 रकबा 5.00 बीघा का अप्रार्थीक्रम 1 को किया गया आवंटन आदेश दिनांक 23.06.2000 केम्प ढिकवानी सर्वथा अवैध, विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। आवंटन हेतु कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई, आवंटित भूमि आवंटन के पूर्व से ही प्रार्थी के कब्जे काश्त में निरन्तर चली आ रही है। ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे यह साबित होता हो कि विवादित आराजी प्रार्थी के कब्जे काश्त में है। अभिभाषक अप्रार्थीक्रम 2 ने कथन किया कि भू आवंटन सलाहकार समिति ढिकवानी द्वारा दिनांक 23.06.2000 को नियमानुसार अप्रार्थीक्रम 1 रामहेत को आवंटन की है और विधिवत कब्जा दिया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2022.05.09 16:31:19 IST
Reason: SelfAttested

हमने विद्वान अभिभाषक प्रार्थी के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का आद्यन्त अवलोकन किया। वकील प्रार्थी का कथन है कि अपील में अंकित तथ्यों को बहस माना जावें। आवंटन अपूर्ण कोरम व प्रक्रिया द्वारा किये जाने से अवैधानिक है। भू आवंटन नियमों व प्रावधानों की पालना नही की है, ना ही आवंटन बाबत् खुले स्थान पर उद्घोषणा चस्पा की है। आवंटी का आज तक कब्जा नहीं रहा। सदैव से अपीलान्ट का कब्जा रहा है। प्रार्थी ने ऐसा कोई प्रमाण पेश नहीं किया जिससे आवंटन विधी विरूद्ध साबित होता हो।

अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से अस्वीकार किया जाता है तथा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 23.06.2000 को अप्रार्थी रामहेत पुत्र सुन्दरलाल जाति सहरिया निवासी ढिकवानी तहसील शाहबाद को ग्राम रातईकलां की आराजी खसरा नं. 298 रकबा 5 बीघा भूमि का किया गया आवंटन यथावत रखा जाता हैं। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति सहित प्रेषित किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
शाहबाद (बारां)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2022.05.09 16:31:19 IST
Reason: SelfAttested